तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.7.2	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। तहसीलदार माण्डल पटवार हल्का भादू द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० की गई, अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी अनुपस्थित, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही, वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 16.7.21 को पेश हो।	[illegible]
16.7.21	उभय पक्ष ... पीठासीन ... कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20.7.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
20.7.21	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27.7.21 को पेश हो।	
27.7.21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी [illegible] स्वीकार किया जाकर निर्णय [illegible] जाकर शा० प० किया गया। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:19:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी- डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 237/20 प्रा०पत्र

1- श्री सुवालाल S/o कन्हैयालाल जाट निवासी- उम्मेदपुरा त० माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री भोपाल सिंह S/o भग्गु सिंह राजपूत निवासी- गाडु त० माण्डल (भीलवाड़ा)
(पृष्ठांकित प्रा० पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 27.07.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गाडु पटवार हल्का गाडु तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3089/1753 कुल किता 01 रकबा 0.6323 ~~बीघा~~ हैक्टेयर ~~बिस्वा~~ स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.12.20 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गाडु पटवार हल्का गाडु तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3089/1753 कुल किता 01 रकबा 0.6323 ~~बीघा~~ हैक्टेयर ~~बिस्वा~~ भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक [illegible] हारिया को 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। [illegible] मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान [illegible] यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्[illegible]डी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:19:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल, जिला भीलवाड़ा